संख्या: 22/2015/425प्रो0/51-2015-14(44)/2015

प्रेषक,

जितेन्द्र राम त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
फैजाबाद ।

मुख्य मंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊ : दिनांक 25 जून, 2015

विषय:- राज्य अतिथि के सेवा-सत्कार पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य अतिथि के परिवहन से संबंधित आपके पत्रांक 906 वी0 आई0 पी0-टैक्सी बिल/2015, दिनांक 05 फरवरी, 2015 के साथ प्राप्त देयक के भुगतान हेतु कुल धनराशि रु 10,153-00 (रुपये दस हजार एक सौं तीरपन मात्र) आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीक़ति प्रदान करते है ।

2- क़ृपया उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना संबंधित कोषागार की डी0डी0ओ0 रिकान्सिलेशन स्टेटमेन्ट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये । उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि देयक का भुगतान दुबारा नही किया जा रहा है । उक्त् से संबंधित देयक मूलरुप में वापस किये जा रहे है ।

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2053-जिला प्रशासन-आयोजनेत्तर-093-जिला स्थापनायें-03-कलेक्ट्रेट स्थापनायें-22-आतिथ्य व्यय / व्यय विषयक भत्ता आदि के नामें डाला जायेगा ।

संलग्नक: 01 देयक मूलरुप में ।

भवदीय

(जितेन्द्र राम त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या: 22/2015/425(1)प्रो/51-2015-14(44)/2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5,
3- कोषाधिकारी, फैजाबाद ।
4- प्रबन्ध निदेशक , उ0 प्र0 राज्य सड्क परिवहन निगम, लखनऊ ।
5- क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड्क परिवहन निगम, फैजाबाद।
6- कार्यालय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से

(जितेन्द्र राम त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव A

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।